



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 अप्रैल 2024

**परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर "[परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट](#)" (इसके बाद 'मार्गदर्शन नोट' कहा जाएगा) रखा। यह मार्गदर्शन नोट परिचालन आघात-सहनीयता सहित वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक मार्गदर्शन को बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बासेल समिति के सिद्धांतों अर्थात्, (ए) 'परिचालन जोखिम के मजबूत प्रबंधन के लिए सिद्धांतों में संशोधन' और (बी) 'परिचालन आघात-सहनीयता के लिए सिद्धांत' (दोनों मार्च 2021 में जारी किए गए) के साथ संरेखित करता है।

2. इस मार्गदर्शन नोट में निर्धारित प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और साधन, प्रकृति में सांकेतिक हैं और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। असंगतता के मामले में, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देश मान्य होंगे।

3. [दिनांक 14 अक्टूबर 2005 का मौजूदा "परिचालन जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शन नोट"](#), इस मार्गदर्शन नोट के जारी होने के साथ निरस्त हो गया है।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/220

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक